22

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक – सं0सं0–ह0क0सह0–(यो0/हस्तकरघा सर्वेक्षण)–19/2016 6482 पटना, दिनांक– 13-12-16

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा की सूचनाएँ एकत्रित करने एवं हस्तकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या उत्क्रीर्ण करने हेतु 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा की सूचनाएँ एकत्रित करने एवं हस्तकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या उत्क्रीर्ण करने हेतु 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. बुनकरों के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का समुचित एवं प्रमाणिक ढंग से क्रियान्वयन करने, बुनकरों के लिए रोजगार सृजन कर उनके रोजगार में बढ़ोतरी करने, बुनकरों के कल्याण के लिए योजनाओं का सूत्रण करने तथा विभिन्न चालू योजनाओं का सीधे लाभ पहुँचाने हेतु इस डाटा का उपयोग किया जा सकेगा।

3. राज्य योजना मद से प्राप्त राशि 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये राज्य के 16 बुनकर बाहुल्य जिला में अवस्थित कार्यरत हथकरघा के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचनाएँ एकत्रित करने तथा प्रत्येक कार्यरत करघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या उत्क्रीर्ण करने हेतु राशि संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन अभिकरण संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे। इसके क्रियान्वयन हेतु निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया जाएगा।

5. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 हथकरघा उद्योग, माँग संख्या–23, उपशीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड IND 5438 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद से विकलित होगा, जिसके लिए आय–व्ययक 2016–17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. स्वीकृत राशि 25.00 लाख (पच्चीस लाख) में से 24.00 लाख (चौबीस लाख) रूपये का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संलग्न सूची के अनुसार संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे, जो राशि की निकासी सार विपत्र BTC-26 पर जिला कोषागार से प्राप्त आवंटन के आधार पर करेंगे। शेष राशि अनुश्रवण मद की राशि रू0 1.00 लाख (एक लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे। जो सार विपत्र BTC-26 पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के खाते में संधारित करेंगे।

उक्त राशि का व्यय निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा। कार्य सम्पादन के पश्चात् ससमय डी0सी0 विपत्र BTC-27A में महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम को उपलब्ध करायेंगे।

7. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे जो योजना का अनुश्रवण करेंगे।

8. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग की स्वीकृति प्राप्त है।

9. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0 (योजना) हस्तकरघा सर्वेक्षण 19/2016 के पृष्ठ 8/टि0 पर दिनांक– 02.12.2016 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या– 265/OSD, दिनांक– 02.12.2016 है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

9/12/16

सं०सं० - ह0क0सह0 (यो0/ह0क0/सर्वेक्षण) - 19/2016

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– 6482 पटना, दिनांक– 13-12-16

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/16

सं०सं० - ह0क0सह0 (यो0/ह0क0/सर्वेक्षण) - 19/2016

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– 6482 पटना, दिनांक– 13-12-16

प्रतिलिपि– संबंधित पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/16

सं०सं० - ह0क0सह0 (यो0/ह0क0/सर्वेक्षण) - 19/2016

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– 6482 पटना, दिनांक– 13-12-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/अपर निदेशक (तक0), उप उद्योग निदेशक, सहायक उद्याग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/महाप्रबंधक सभी जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) गया एवं भागलपुर/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक, योजना, उद्योग विभाग को पाँच प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा की सूचनाएँ एकत्रित करने एवं हस्तकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन सं0 उत्क्रीर्ण करने हेतु राशि का जिलावार आवंटन की सूचीः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1.	भागलपुर	5.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर
2.	औरंगाबाद	3.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद
3.	बांका	3.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका
4.	गया	1.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया
5.	कैमूर	1.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर
6.	नालन्दा	1.50	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा
7.	नवादा	2.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा
8.	रोहतास	1.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास
9.	मधुबनी	1.50	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी
10.	सीवान	1.10	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान
11.	पटना	3.72	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना
12.	मुजफ्फरपुर	0.01	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर
13.	कटिहार	0.02	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार
14.	खगड़िया	0.02	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया
15.	जहानाबाद	0.01	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद
16	पश्चिम चम्पारण	0.10	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण
17	समस्तीपुर	0.02	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर
18.	मुख्यालय अनुश्रवण	1.00	वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना
	कुल	**25.00**	

9/12/16
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।